उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-74/2020/1043/26-3-2020
लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च 2020
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में रू0-3122.85 लाख (रूपया-इक्तीस करोड़ बाइस लाख पच्चासी हजार मात्र) (राजस्व मद में रू0-1368.39+121.74+63.22 लाख अर्थात कुल रू0-1553.35 लाख एवं पूंजीगत मद में रू0-1569.50 लाख) की बचत को एतदद्वारा वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है।
संलग्नक-यथोक्त

सतीश कुमार
अनु सचिव

संख्या-ई-4-325 ए/दस-2020 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं महालेखाकार (आडिट)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरण के अनुसार लेखाशीर्षक के अन्तर्गत योजनावार उनके सम्मुख अंकित मदों में रू0-3122.85 लाख (रूपया-इक्तीस करोड़ बाइस लाख पच्चासी हजार मात्र) (राजस्व मद में रू0-1368.39+121.74+63.22 लाख अर्थात कुल रू0-1553.35 लाख एवं पूंजीगत मद में रू0-1569.50 लाख) की बचत की धनराशि वित्त विभाग में पुर्नग्रहीत कर ली गयी है।
संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

राम रतन
उप सचिव

पृ0सं0-74/2020/1043 (1)/26-3-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0लखनऊ।
2-निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
3-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
4-वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
5-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या–   /2020/1043/26–3–2020 दिनांक–31.03.2020 का संलग्नक
वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष समर्पण का विवरण

विभाग का नाम :निदेशालय जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।			
अनुदान संख्या–81			
वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभागीय बचतों के विपरीत समर्पण			
योजना/मुख्य लेखाशीर्षक/ लघुशीर्षक/ विनियोग की प्राथमिक इकाई	आय– व्ययक प्राविधान 2019–20	समर्पित धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
मुख्य लेखाशीर्षक–2225– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
0101 दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति (के0100/रा.00–के.)			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	1800.00	8.34	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 के लम्बित देयकों की पूर्ति हेतु प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष एन0 आई0सी0से प्राप्त बिलों के भुगतान के पश्चात लम्बित देयका पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप धनराशि योजनान्तर्गत बचत हुई
0102–जनजाति विकास पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति (के0100/रा.00–के.)			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	0.00	0.00	
0103–अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना (के0100/रा.00 के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	2.34	2.34	जनपद स्तर से योजनान्तर्गत प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण बचत हुई है
0104–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदान			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	332.10	89.90	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
42–अन्य व्यय	52.30	52.30	औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण योजनान्तर्गत बचत हुई है
योग 04 :–	**384.40**	**142.20**	
0105–पावर्टी प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन हेतु अनुदान			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	94.34	94.34	जनपदों से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे लाभार्थियों की प्रमाणित सूची प्राप्त न होने के फलस्वरूप बचत हुई।
0106–बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर को अनुदान (100% केन्द्र पुरोनिधानित)			
20 सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	13.20	13.20	जनपदों से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे लाभार्थियों की प्रमाणित सूची प्राप्त न होने के फलस्वरूप बचत हुई।
0107–बिखरी आबादी वाली अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (100% केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	90.00	90.00	जनपदों से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित किये जा रहे लाभार्थियों की प्रमाणित सूची प्राप्त न होने के फलस्वरूप बचत हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

0109–अनुसूचित जनजाति पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति योजना 100% केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित)			
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	85.00	85.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
0110–वन बन्धु कल्याण योजना (के.100/रा.0–के.)			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	63.00	56.09	योजनान्तर्गत आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
0111–लघु वन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	0.00	240.00	धनराशि की स्वीकृति न प्राप्त होने कारण योजनान्तर्गत बचत हुई।
योग 01 :–	**2532.28**	**731.51**	
03–मुख्यालय अधिष्ठान			
01–वेतन	179.00	32.54	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
02 मजदूरी	1.05	0.24	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
03–महगाई भत्ता	26.85	2.26	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
04–यात्रा व्यय	1.50	0.29	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.01	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
06–अन्य भत्ते	0.50	0.32	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
07–मानदेय	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
08–कार्यालय व्यय	4.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–21/2020/230/26–3–2019 दिनांक 05–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 2.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796 09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 58–आउटसोर्सिंग के लिए भुगतान से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शित गया है।
09–विद्युत देय	0.40	0.00	–
10–जलकर/जलप्रभार	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	0.03	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–21/2020/230/26–3–2019 दिनांक 05 02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 2.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 58–आउटसोर्सिंग के लिए भुगतान से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।
13–टेलीफोन पर व्यय	1.10	0.37	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	15.00	0.37	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.00	0.48	शासनादेश सं0–21/ 2020/230/ 26-3 2019 दिनांक 06–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रु0– 2.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02 796–09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 58–आउटसोर्सिंग के लिए भुगतान से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।
18–प्रकाशन	2.00	0.01	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	–
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.22	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	3.00	0.01	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00	0.05	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
49–चिकित्सा व्यय	5.00	1.56	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
51–वर्दी व्यय	0.15	0.15	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	12.00	0.47	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
55–मकान किराया भत्ता	15.30	2.94	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
56–नगर प्रतिकर भत्ता	1.90	0.18	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	3.00	0.86	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग 03 :–	**288.45**	**44.06**	
04– एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन			
29–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.30	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
39–औषधि तथा रसायन	3.50	1.29	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
42–अन्य व्यय	1.20	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग 04 :–	**6.00**	**1.29**	
05–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन			
01–वेतन	14.96	12.33	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण व्ययाधिक्य हुआ जिसका समायोजन प्रथमतः शासनादेश सं0–19/ 2020/718(1)/26–3–2020 दिनांक 05–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 2.63 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–08–अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के लिए 09 विद्युत व्यय, 55–मकान किराया एवं 56–नगर प्रतिपूर्ति भत्ता समायोजन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 05 में दर्शाया गया है।
03–महगाई भत्ता	2.24	2.24	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
04–यात्रा व्यय	0.20	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
06–अन्य भत्ते	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			बचत हुई।
08 कार्यालय व्यय	0.20	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
09–विद्युत देय	0.40	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
10–जलकर / जलप्रभार	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.25	0.05	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	0.20	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.20	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
18 प्रकाशन	0.20	0.15	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
20 सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	39.70	15.70	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण व्यावर्तित हुआ जिसका समायोजन प्रथमतः शासनादेश सं0–38/ 2020/ 719/26–3–2020 दिनांक 13 03 2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0–24.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–15–आश्रम पद्धति विद्यालयों से सम्बंधित अनुसूचित जनजातियों की सहायता के समायोजन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 05 में दर्शाया गया है।
42–अन्य व्यय	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	0.20	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	0.40	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.90	0.90	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
55–मकान किराया भत्ता	0.60	0.60	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	0.00	0.00	–
योग 05 :–	**61.15**	**33.37**	
06–जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान			
01–वेतन	15.50	2.03	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
03–महगाई भत्ता	2.33	0.85	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
04–यात्रा व्यय	0.20	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
06–अन्य भत्ते	0.10	0.05	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
07–मानदेय	0.00	0.00	–
08 कार्यालय व्यय	0.50	0.40	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
09–विद्युत देय	0.50	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
10–जलकर / जलप्रभार	0.00	0.00	–
11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.40	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.25	0.25	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.25	0.25	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
18–प्रकाशन	0.70	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	–
42–अन्य व्यय	0.00	0.00	–
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.00	0.00	–
46–अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.25	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
47–कंम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.00	0.00	–
49–चिकित्सा व्यय	0.50	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
51–वर्दी व्यय	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	1.31	0.68	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
55–मकान किराया भत्ता	0.70	0.26	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.10	0.03	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग 06 :–	**23.89**	**9.64**	
07–प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजाति जो इस समय अनु0 जातियों की सूची में शामिल है के लिए अनुदान			
0701–कृषि/बागवानी हेतु अनुदान			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	5.00	5.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
0702 कुटीर उद्योग हेतु अनुदान			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	5.00	5.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग 07 :–	**10.00**	**10.00**	
08–अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास			
01–वेतन	10.60	0.00	–
02–मजदूरी	1.75	0.31	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
03–महंगाई भत्ता	1.59	0.00	–
04–यात्रा व्यय	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
06–अन्य भत्ते	0.10	0.08	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
07–मानदेय	0.00	0.00	–
08–कार्यालय व्यय	0.25	0.15	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

09–विद्युत देय	0.75	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–19/2020/218(1)/26–3–2019 दिनांक 05–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रु0– 2.47 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–05 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना 01–से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।
10–जलकर/जलप्रभार	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.25	0.22	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.40	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
20–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0.60	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
29–अनुरक्षण	0.80	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
41–भोजन व्यय	1.20	0.72	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
42–अन्य व्यय	0.10	0.05	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.80	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.05	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
46–चिकित्सा व्यय	0.20	0.20	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.93	0.93	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
55–मकान किराया भत्ता	0.00	0.06	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–19/2020/218(1)/26–3–2019 दिनांक 05–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रु0– 0.12 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–05 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना 01–से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.03	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–19/2020/218(1)/26–3–2019 दिनांक 05–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रु0– 0.04 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–05 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना 01–से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

योग	21.37	4.80	
09–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय			
01–वेतन	370.50	58.10	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
02–मजदूरी	15.50	1.03	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
03–महगाई भत्ता	55.58	7.21	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
04 यात्रा व्यय	5.50	1.08	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
06–अन्य भत्ते	2.00	1.91	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
08–कार्यालय व्यय	25.00	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण 08 कार्यालय व्यय, 11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई की पूर्ति करते हुये 11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई मद में बचत होने वाली धनराशि रु0 .71 लाख में से रु0–.05 लाख का 08–कार्यालय व्यय मद में अधिक व्यय का समायोजित किये जाने का प्रस्ताव है। जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 08 में दर्शाया गया है।
09–विद्युत देय	20.00	3.46	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–20/2020/ 216/26–3–2019 दिनांक 26–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रु0– 14.26 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक 2225 02 796 09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 41–भोजन से लिया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है
10–जलकर/जलप्रभार	0.50	0.40	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.50	0.66	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण 08–कार्यालय व्यय, 11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई की पूर्ति करते हुये 11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई मद में बचत होने वाली धनराशि रु0–.71 लाख में से रु0–.05 लाख का 08–कार्यालय व्यय मद में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव है,जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 11 में दर्शाया गया है।
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00	0.00	-
13–टेलीफोन पर व्यय	1.50	1.05	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9.00	4.21	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	3.00	2.76	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
25–लघु निर्माण	0.00	0.00	–
26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	0.00	0.00	–
29–अनुरक्षण	9.00	1.05	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	270.00	5.43	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–20 / 2020 / 216 / 26–3–2019 दिनांक 05–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 53.34 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 41–भोजन से किया गया यथा स्थान कालम 04 मे दर्शाया गया है
39–औषधि तथा रसायन	4.50	0.21	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
40–औषधालय संबंधी आवश्यक सज्जा	4.50	0.25	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
41–भोजन व्यय	603.00	71.09	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण व्ययाधिक्य हुआ जिसका समायोजन शासनादेश सं0–210 / 2019 / 3801 / 26–3–2019 दिनांक 25–09–2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 54.82 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक 2225 02–796–अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के लिए सुधार / विकास में समायोजन हेतु स्वीकृत किया गया है जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 06 में दर्शाया गया है। आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण व्ययाधिक्य हुआ जिसका समायोजन शासनादेश सं0–03 / 2020 / 5083 / 26–3–2019 दिनांक 13–01–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 116.25 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–15–आत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता मे समायोजन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 05 में दर्शाया गया है। आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण व्ययाधिक्य हुआ जिसका समायोजन शासनादेश सं0–209 / 2019 / 3802 / 26–3–2019 दिनांक 25–09–2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0 48.03 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796 15 अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			जनजातियों की सहायता में समायोजन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 05 में दर्शाया गया है। आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण व्ययाधिक्य हुआ जिसका समायोजन प्रथमतः शासनादेश सं0–20/2020/215/20–3–2020 दिनांक 05–02–2020 (छाया प्रति सलग्न) द्वारा रू0– 73.60 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–09–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पध्दति विद्यालय के समायोजन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 05 में दर्शाया गया है। इस प्रकार कुलरू0– 292.87 लाख का पुनर्विनियोग किया गया है।
42 अन्य व्यय	2.50	0.42	–
43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	108.00	1.38	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एंव अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.30	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	6.00	4.90	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
47 कैंम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00	1.54	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
49–चिकित्सा व्यय	3.00	0.14	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
51–वर्दी व्यय	0.50	0.40	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	23.72	1.88	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–20/2020/215/20–3–2019 दिनांक 06–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 0.09 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02 –796–09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय 41–भोजन से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है
55–मकान किराया भत्ता	14.90	7.65	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
56–नगर प्रतिकर भत्ता	2.00	1.58	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	145.00	79.07	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण व्ययाधिक्य हुआ जिसका समायोजन प्रथमतः शासनादेश सं0–22/2020/213/20–3–2020 दिनांक 06–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 20.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–अनुसूचित जनजातियों को सहायता प्राप्त पाठशालाओं , पुस्तकालयों व छात्रावासों के लिए सुधार/विकास में समायोजन हेतु स्वीकृत किया गया है जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 05 मे दर्शाया गया है। आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			व्ययाधिक्य हुआ जिसका समायोजन प्रथमतः शासनादेश सं0–21/2020/230/ 26–3–2020 दिनांक 05–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 8.10 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–03 मुख्यालय के लिए 06– कार्यालय व्यय, 12–कार्यालय फर्नीचर, 17–कार्यालय उपयुक्त एवं 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर में समायोजन हेतु स्वीकृत किया गया है, जिसका समायोजन यथा स्थान कालम 05 में दर्शाया गया है।
योग 09 :–	**1722.80**	**260.46**	
10–अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु अनुदान			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	5.00	5.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
11–अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता			
1101–कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	110.00	110.00	राज्य सरकार से सम्बन्धित की धनराशि की प्राप्ति एवं एन0आई0सी0 से प्राप्त बिलों के भुगतान के फलस्वरूप धनराशि योजनान्तर्गत बचत हुई।
1102–कक्षा 6 से 8 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	0.00	0.00	–
1103–कक्षा 1 से 5 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता			
21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	0.00	0.00	–
योग–11	**110.00**	**0.00**	
12–अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनिफार्म एवं बाइसकिल अनुदान			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	**100.00**	**66.33**	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
13–दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति			
21–छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	**1000.00**	**2.00**	–
14–अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विस्तार			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	**70.00**	0.75	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण व्ययाधिक्य हुआ। जिसका समायोजन आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–210/2019/3801/26-3-2019 दिनांक 25–09–2019 छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 54.52 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 41– भोजन से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है। एवं शासनादेश सं0–22/2020/213/26-3-2020 दिनांक 06–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 20.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796-09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 58–आउटसोर्सिंग के लिए भुगतान से किया गया। यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।
18–अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	**35**	0.12	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश स0–209/2019/3802/26–3–2019 दिनांक 25–09–2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0–48.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225-02-796–09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 41– भोजन से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है, शासन के शासनादेश सं0–03/2020/5083/26–3–2019 दिनांक 13–01–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0–116.25 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796 –09 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 41– भोजन से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है एवं शासन के शासनादेश सं0–38/2020/719/26–3–2020 दिनांक 13–03–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 24.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–03 एकीकृत जनजाति विकास परियोजना 20-सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।
17–जनजाति उपयोजना			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1701–एकीकृत विकास योजना लखीमपुर खीरी			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	11.00	0.00	–
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	180	**41.36**	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राज्य सहायता)	12.00	0.00	–
योग 1701 :–	**203**	**41.36**	
1702–जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम– थारू विकास परियोजना गोण्डा			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	0.48	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–41/2020/720/26–3–2019 दिनांक 18–03–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0- 2.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225– 02–796–17–जनजाति उपयोजना–04–बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास योजना–31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के मानक मद से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है। शासन के शासनादेश सं0–23/2020/214/26–3–2020 दिनांक 07–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 1.03 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–17–जनजाति उपयोजना–04–बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास योजना–31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के मानक मद से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	32.74	1.04	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश सं0–23/2020/214/26–3–2020 दिनांक 07–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 0.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक–2225–02–796–लेखाशीर्षक–2225–02–796–17–जन जाति उपयोजना–04 बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास योजना–31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के मानक मद से किया गया यथा स्थान कालम 04 में दर्शाया गया है।
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राज्य सहायता)	5.99	0.01	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग 1702 :–	**39.21**	**1.05**	
1703–अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	3.00	2.27	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	12.00	4.07	
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राज्य सहायता)	1.20	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग 1703 :–	**16.20**	**8.11**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

1704–बिखरी आबादी वाले जनजातियों का विकास			
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1.50	0.00	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
31- सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	27.00	3.71	आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण शासन के शासनादेश स0–41/2020/720/26–3–2019 दिनांक–10–03–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0– 2.00 लाख का पुनर्विनियोग मुख्य लेखाशीर्षक 2225–02–796–1702 –जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम– धारू विकास परियोजना गोष्ठा–20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के मानक मद में लेिया गया यथा स्थान कालम 05 में दर्शाया गया है। शासन के शासनादेश स0–23/2020/214/ 26–3–2020 दिनांक 07–02–2020 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा रू0–10.00 लाख का पुनर्विनियोग लेखाशीर्षक–2225–02–796–1702–जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम– थारू विकास परियोजना गोष्ठा 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में रू0–1.00 लाख, –31–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) के मानक मद में रू0–9.00 लाख लिया गया यथा स्थान कालम 05 में दर्शाया गया है। इस प्रकार कुल रू0 12.00 लाख का समायोजन किया गया है।
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राज्य सहायता)	1.45	0.63	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
योग 04 :–	**29.95**	**4.34**	
18–अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार की बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	**130.00**	**64.20**	आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
0111–लघु वन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	**0.00**	**80.00**	धनराशि की स्वीकृत न होने कारण योजनान्तर्गत बचत हुई।
योग – 796:–	**6404.30**	**1368.39**	
योग 02 :–	**6404.30**	**1368.39**	
योग – 2225 :–	**6404.30**	**1368.39**	
पूँजी लेखा			
मुख्य लेखाशीर्षक–4225– अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
0102–अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण (के.50% भारत सरकार का अंश)			
24– वृहत निर्माण कार्य			
0103–अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण (50% भा0स0)			
24– वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	
0104 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (100% / रा0–0)			
24– वृहत निर्माण कार्य	**1713.00**	11.74	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

0105–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (के. 100% रा0)			
24 वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	
0107 नक्सल प्रभावित जनपदों में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास का निर्माण (के.100 / रा.–के–0)			आवश्यकतानुसार व्यय करने के कारण बचत हुई।
24– वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	
0106–जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत निर्माण कार्य (के.100–रा.0 / के.)			
24– वृहत निर्माण कार्य	**1500.00**	**1442.99**	स्वीकृति न मिलने के कारण बचत हुई।
0109–वन बन्धु कल्याण योजना (के.100–रा.0 / के.)	0.00	0.00	
24– वृहत निर्माण कार्य	30.00	30.00	
योग : 01:–	**3243.00**	1484.73	स्वीकृति न मिलने के कारण बचत हुई।
04–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अधूरे भवनों का निर्माण			
24– वृहत निर्माण कार्य	**500.00**	**0.00**	औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बचत हुई है।
05–अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास का निर्माण	**697.00**	**50.19**	
24– वृहत निर्माण कार्य		0.00	
06–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय			–
25–लघु निर्माण कार्य	**5.00**	**0.00**	
26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयत्र	**199.50**	**34.58**	आवश्यकतानुसार धनराशि व्यय किये जाने के कारण बचत हुई है।
राज्यांश सहायता से प्राप्त अंशपंजी का योग	**1401.50**	**84.77**	
योग : 796:–	**4644.50**	1569.50	
योग : 02:–	**4644.50**	1569.50	
योग: 4225:–	**4644.50**	1569.50	
लेखाशीर्षक–2225, अनुसूचित जाति अनु0 जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–आयोजनेत्तर, 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–19–अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें।			
01– वेतन	185.00	67.54	निदेशक की पूर्णकालिक नियुक्ति न होने एवं संयुक्त निदेशक की तैनाती न होने के कारण बचत हुई।
02– मजदूरी	3.50	3.38	आवश्यकता अनुसार व्यय
03– महंगाई भत्ता	27.75	9.98	निदेशक की पूर्णकालिक नियुक्ति न होने एवं संयुक्त निदेशक की तैनाती न होने के कारण बचत हुई।
04– यात्रा व्यय	3.50	2.69	आवश्यकता अनुसार व्यय
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50	स्थानान्तरण से निदेशक व संयुक्त निदेशक की तैनाती न होने के कारण।
06– अन्य भत्ते	1.00	0.69	निदेशक की पूर्णकालिक नियुक्ति न होने एवं संयुक्त निदेशक की तैनाती न होने के कारण बचत हुई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

07– मानदेय	1.75	1.43	प्रशिक्षण सत्र में अन्य विभागों से नामांकन प्राप्त न होने के कारण प्रशिक्षण सत्र नहीं चलाये जा सके। जिसके कारण बचत हुई।
08– कार्यालय व्यय	1.75	0.02	आवश्यकता अनुसार व्यय
09– विद्युत देय	4.00	0.12	आवश्यकता अनुसार व्यय।
10– जलकर/जलप्रभार	0.05	0.05	आवश्यकतानुसार व्यय
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.70	0.02	आवश्यकतानुसार व्यय
12– कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	2.50	2.07	आवश्यकतानुसार व्यय
13– टेलीफोन पर व्यय	0.45	0.21	आवश्यकतानुसार व्यय
15– गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	10.00	6.71	आवश्यकता अनुसार व्यय
16– व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	1.00	0.75	आवश्यकता अनुसार व्यय
18– प्रकाशन	0.60	0.60	आवश्यकता अनुसार व्यय
19– विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.10	कोई विज्ञापन प्रकाशित न होने के कारण बचत हुई
22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.30	0.13	आवश्यकता अनुसार व्यय
41– भोजन व्यय	2.50	2.22	प्रशिक्षण सत्र मे अन्य विभागों से नामांकन प्राप्त न होने के कारण प्रशिक्षण सत्र नहीं चलाये जा सके जिसके कारण बचत हुई
42– अन्य व्यय	0.50	0.50	–
44– प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50	आवश्यकता अनुसार व्यय
45– अवकाश यात्रा व्यय	1.50	1.50	आवश्यकता अनुसार व्यय
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	0.04	आवश्यकता अनुसार व्यय
47– कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	8.00	5.23	आवश्यकता अनुसार व्यय
49– चिकित्सा व्यय	4.00	2.11	आवश्यकतानुसार व्यय
51– वर्दी व्यय	0.10	0.10	आवश्यकतानुसार व्यय
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	10.00	1.00	आवश्यकतानुसार व्यय
55–मकान किराया भत्ता	12.00	1.87	आवश्यकतानुसार व्यय
56–नगर प्रतिकर भत्ता	2.00	0.55	आवश्यकतानुसार व्यय
59–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00	8.93	आवश्यकतानुसार व्यय
योग–	**297.55**	**121.74**	
लेखाशीर्षक–2225, अनुसूचित जाति अनु0 जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण– 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना– 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें, 0108–अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें(के. 50/रा. 50)			
01– वेतन	40.00	0	–
03– महगाई भत्ता	6.00	0	–
04– यात्रा व्यय	0.10	0	–
06– अन्य भत्ते	0.10	0	–
07– मानदेय	0.12	0	–
08– कार्यालय व्यय	0.85	0	–
11– लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.00	0	–
12– कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	4.00	0	–
51–वर्दी व्यय	0.05	0	–
52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00	0	–

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(राजकीय)			
55–मकान किराया भत्ता	5.00	0	–
55–नगर प्रतिकर भत्ता	1.00	0	–
55–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	0	–
योग–	63.22	0	–
महायोग–2225+4225+2225+2225 राजस्व मद+पूंजीगत मद	6404.30+4644.50+297.55+63.22=11409.57	1368.39+1569.50+121.74+63.22=3122.85	

(रू0–इक्तीस करोड़ बाइस लाख पच्चासी हजार मात्र)

31/03/2020

(सतीश कुमार)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।